

[2008] 2 एस. सी. आर 641

सर्वश्री पदिन्जारेकरा एजेंसीज लिमिटेड

बनाम

केरल राज्य

(सिविल अपील सं- 5700-5712/2007)

8 फरवरी, 2008

(एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.)

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963; छूट अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. संख्या 1003/91 जिसे एस. आर. ओ. संख्या 1727/93 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है:

छूट अधिसूचना-अपकेंद्रित लेटेक्स और फील्ड लेटेक्स- बिक्री कर की अपरिहार्यता और अधिसूचना की प्रयोज्यता- निर्णित: कर हेतु पात्रता छूट/ रियायत के सम्प्रत्य से भिन्न है-

कर कानून में वस्तुओं की संख्या उचित मामलों में छूट अधिसूचना के नियमों और शर्तों से भिन्न होती है -

छूट अधिसूचना की व्याख्या अपनी शर्तों पर की जानी चाहिए-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय वर्गीकरण के आधार पर छूट से इनकार करते हुए यह ध्यान देने में विफल रहा कि मुद्दा वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं था, बल्कि अधिसूचना की निर्वचना थी- परिपत्रों/आदेशों जो छूट से इनकार करते हैं कर निर्धारिती पर बाध्यकारी नहीं- निर्धारिती अधिसूचना के आधार पर छूट का दावा कर सकता है यदि वह उसके नियमों और शर्तों को पूरा करता है - तदनुसार विधिनुसार नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया - कानूनों की निर्वचना-अधिसूचना-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956।

अपीलार्थी- कर निर्धारिती, केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, के अधीन एक पंजीकृत विक्रेता अपकेंद्रित लेटेक्स के उत्पादन में लगा हुआ था- कर निर्धारिती ने छूट अधिसूचना, संख्या एस. आर. ओ. सं. 1003/91 के लाभ का दावा किया, जिसे बाद में अन्य अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. सं. 1727/93 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसके तहत अधिसूचना, छूट का लाभ उठाने की शर्तें थीं कि रबर का उपयोग "वस्तुओं" के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए और यह कि ऐसे रबड़ का उपयोग करके निर्मित उत्पादों पर कर लगाया जाना चाहिए।

आंकलन प्राधिकरण ने एक परिपत्र No./6/98 दिनांकित 18/05/1998 पर भरोसा करते हुए, कर निर्धारिती को इस आधार पर छूट का लाभ देने की अनुमति नहीं दी कि सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स और फील्ड लेटेक्स एक ही वस्तु थी। इसके खिलाफ दायर

अपील को अनुमति दी गई थी। अपीलीय प्राधिकरण का मानना है कि अपकेंद्रित लेटेक्स अधिसूचना के संदर्भ में "माल" की परिभाषा को संतुष्ट किया और इसलिए, रियायती दर थी कर निर्धारिती के लिए स्वीकार्य। हालांकि, जुड़े हुए मामले में प्रथम अपीलीय अधिकरण ने यह माना था कि फील्ड लेटेक्स रबड़ का उत्पाद नहीं है एवं कर निर्धारिती परिपत्र के अन्तर्गत छूट का अधिकारी नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को न्यायाधिकरण ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि फील्ड लेटेक्स और सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स दो पृथक एवं भिन्न वस्तुएं थीं। उच्च न्यायालय के समक्ष कर निर्धारिती द्वारा पुनरीक्षण याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि कच्चा रबर और अपकेंद्रित लेटेक्स एक ही वस्तु हैं, इसलिए कर निर्धारिती अधिसूचना के तहत, शुल्क की रियायती दर का दावा करने का हकदार नहीं था। इसलिए वर्तमान अपीलें पेश की गईं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया: 1.1 इससे पहले कुरियन अब्राहम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विभाग ने यह मत रखा था कि फील्ड लेटेक्स और अपकेंद्रित लेटेक्स दो पृथक एवं भिन्न वस्तुएं थीं। जबकि, वर्तमान मामले में, विभाग ने यह मत रखा है कि वे एक ही वस्तु हैं। अतः कर की अपरिहार्यता के मामले में, विभाग ने यह रुख अपनाया कि फील्ड लेटेक्स और सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स अलग-अलग वस्तुएं हैं और जब छूट/रियायत की बात पर प्रश्न आया, उसी विभाग ने तर्क दिया कि दोनों एक ही वस्तुएं थीं। (पैरा-7) [646-ए, बी]

केरल राज्य और अन्य बनाम सर्वश्री कुरियन अब्राहम प्रा. लिमिटेड एवं एन. आर. 2008 (2) स्केल 341-पर निर्भरता रखी गई।

1.2 कर की अपरिहार्यता की अवधारणा पात्रता छूट/ रियायत के सम्प्रत्य से भिन्न है। कर कानून में वस्तुओं के वर्गीकरण पर लागू होने वाले निर्वचन के नियम उपयुक्त मामलों में छूट अधिसूचना के नियम एवं शर्तों से भिन्न हो सकते हैं। वर्गीकरण विवाद में अपनाया गया निर्वचन, उसी अधिनियम के तहत छूट अधिसूचना के निर्वचन के समान होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक छूट अधिसूचना को उस के निबंधों के अधीन पढ़ना होगा। अधिसूचना में वर्णित निबंधों को, अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा का, कर कानून की भाषा से तुलना करके, उक्त निबंधों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 1003/91 (पूर्ववर्ती सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 585/80) "माल" शब्द का उपयोग करता है। "माल" शब्द के उपयोग के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपकेंद्रित लेटेक्स को, अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "माल" की वस्तु माना जा सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के अनुसार, इस बात पर कोई मतभेद नहीं था कि, अपकेंद्रित लेटेक्स, केजीएसटी अधिनियम में "माल" की परिभाषा को संतुष्ट करता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के अनुसार, अपकेंद्रित लेटेक्स माल की एक वस्तु के रूप में, क्षेत्र लेटेक्स से निर्मित था और इसलिए, कर निर्धारिती छूट के लाभ का दावा करने का हकदार था। (पैरा-12) [647-ई-एच, 648-ए-सी]

1.3 इस मामले में, यह न्यायालय वर्गीकरण से नहीं, बल्कि अधिसूचना (ओं) में उपयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों से संपृक्त है। इस बिंदु को उच्च न्यायालय अपने आक्षेपित फैसले में चूक गया। (पैरा-13) [648-ई]

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए. ओ., छूट अधिसूचना(ओं) में उपयोग किए जाने वाले निबंधों के संबंध में भी, आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों से बाध्य है। हालाँकि, जैसा कि कुरियन अब्राहम प्रा. लिमिटेड के मामले में पहले के फैसले में कहा गया था, आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र/आदेश कर निर्धारिती के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसलिए, आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के बाह्य, कर निर्धारिती सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के आधार पर छूट/रियायत के लाभ का दावा कर सकता है। (पैरा-13) [648-एफ, जी]

1.5 यदि कर निर्धारिती छूट अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पूरा करता है, तो कर निर्धारिती, बोर्ड/आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र के बावजूद, अधिसूचनाओं के तहत लाभ का हकदार होगा यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि परिपत्र कर निर्धारिती को बाध्य नहीं करता है, यदि कर निर्धारिती यह दर्शाता है कि वह छूट अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। अतः उच्च न्यायालय के, बिक्री कर परिशोधन सं. 177-189/07, 192/2007 , 117/07 और 126-138/07 में, आक्षेपित निर्णय, अपास्त किए जाते हैं एवं मामलों को, विधि अनुसार, नए सिरे से विचार के लिए, ए. ओ. को भेजे जाते हैं। ए. ओ., उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से

अप्रभावित होकर, कर निर्धारिती की दलीलों पर गौर करेगा और छूट के दावे पर, छूट अधिसूचना में उपयोग किए गए शब्दों और नियमों और शर्तों के आधार पर, निर्णय लेगा। (पैरा-13 और 14) [649-ए, बी, सी, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 5700-5712/2007

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के, एस. टी. रिवि. नं. 177-189, 2007 के निर्णय और आदेश दिनांक 08-06-2007 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 5699 और 5713-572/2007

आर. एफ. नरीमन, ई. एम. एस. अनम, फजलिन अनम और रमेश बाबू एम.

आर. - अपीलार्थी के लिए।

जी. प्रकाश और बीना प्रकाश - प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

कापडिया, जे.

1. सुविधा के लिए सिविल अपील सं. 5700-5712/07 के तथ्य वर्णित है।

2. सिविल अपीलों का यह समूह कर निर्धारिती द्वारा दायर किया गया है, जो

केरल उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच द्वारा, बिक्री कर रिवीजन संख्या 177-189/07 में

पारित सामान्य निर्णय दिनांक 8.6.2007 के खिलाफ निर्देशित है। उक्त आक्षेपित निर्णय के माध्यम से उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-कर निर्धारिती द्वारा दायर रिवीजनो को प्रवेश चरण के प्रक्रम पर खारिज कर दिया था।

3. ये मामले मुख्य मामले, केरल राज्य बनाम मेसर्स कुरियन अब्राहम प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. (सिविल अपील नं. 7965-7966/2004) की अगली कड़ी हैं, जिसमें हमने अपना फैसला सुनाया है।

4. कर निर्धारिती, मेसर्स पदिंजारेकरा एजेंसीज लिमिटेड है, जो अपकेंद्रित लेटेक्स की बिक्री के उत्पादन में लगे हुए हैं। यह एक केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963("केजीएसटी अधिनियम") एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम) के तहत पंजीकृत विक्रेता है। कर निर्धारिती की इकाई एस. एस. आई. इकाई के रूप में पंजीकृत है।

5. सिविल अपीलों के इस समूह में हम मूल्यांकन वर्ष 1982-83 से 1996-97 तक सम्पृक्त हैं। कर निर्धारिती है फील्ड लेटेक्स (कच्चा-रबर) से अपकेंद्रित लेटेक्स का प्रक्रमक है।

6. कर निर्धारिती ने सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 1003/91, जिसे बाद में सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. नं. 1727/93 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, से छूट के लाभ का दावा किया। सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. 1003/91 के तहत,

छूट का लाभ उठाने के लिए शर्तें थीं कि, रबड़ का उपयोग "वस्तुओं" के निर्माण के लिए होना चाहिए और ऐसे रबड़ द्वारा निर्मित उत्पाद पर कर लगाया जाता था।

7. मूल्यांकन प्राधिकरण ने कर निर्धारिती को, उपरोक्त सरकारी अधिसूचनाओं के तहत छूट के लाभ की अनुमति इस आधार पर नहीं दी कि, अपकेंद्रित लेटेक्स और फील्ड लेटेक्स एक ही वस्तु थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि, कुरियन अब्राहम प्राइवेट के पिछले मामले में, विभाग ने यह विचार रखा था कि फील्ड लेटेक्स और सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स दो अलग-अलग वस्तुएं हैं, जबकि वर्तमान मामले में विभाग ने यह विचार रखा है कि वे एक ही वस्तु थी। इसलिए, कर की अपरिहार्यता के मामले में, विभाग ने यह रुख अपनाया कि फील्ड लेटेक्स और अपकेंद्रित लेटेक्स अलग-अलग वस्तुएँ थीं और जब छूट/रियायत का प्रश्न आया, तब उसी विभाग ने तर्क दिया कि दोनों वस्तुएं समान हैं।

8. घटनाओं का वर्णन जारी रखने के लिए, यह कहा जा सकता है कि, एओ के फैसले से व्यथित होकर, कर निर्धारिती द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को की गई अपील में मामला उठाया गया था, जिसने यह विचार रखा कि केंद्रीकृत लेटेक्स, सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. संख्या 1003/91 में "वस्तुओं" की परिभाषा को संतुष्ट करता है और इसलिए, कर निर्धारिती के लिए रियायती दर स्वीकार्य थी (सिविल अपील संख्या 5700-5712/07 में पेपर बुक का पृष्ठ 96 देखें)।

9. उपरोक्त सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 1003/91 को, सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 1727/93 द्वारा अधिक्रमित किया गया था, जो दिनांक 1.1.1994 से प्रभावी हुआ था। यहाँ, एओ ने एक बार फिर से इस आधार पर छूट के दावे की अनुमति इस आधार पर नहीं दी कि, फील्ड लेटेक्स और सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स, प्रविष्टी 110, प्रथम अनुसूची, केजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत, एक ही वस्तु थे। एओ ने परिपत्र संख्या 16/98 दिनांकित 28.5.1998 पर भरोसा किया। इस बार, अपील में, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि, फील्ड लेटेक्स एक रबर उत्पाद नहीं है और इसलिए, कर निर्धारिती, अधिसूचना एस. आर. ओ. नं. 1727/93 के माध्यम से छूट का हकदार नहीं था

(सिविल अपील सं. 5700-5712/07 में पेपर बुक का पृष्ठ 98 देखें)

10. निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1993-94 से संबंधित अपीलों में, निर्धारिती ने न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि, वे 3 प्रतिशत की रियायती दर के हकदार थे, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर कि, फील्ड लेटेक्स और सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स दो अलग व पृथक वस्तुएं थीं, अस्वीकार कर दिया गया था एवं इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पंदिन्जारेकरा एजेंसीज लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, 1996 (2) के. एल. टी. 641 में रिपोर्टकृत, पर निर्भरता रखी गई थी।

11. न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित होकर, मामला पुनरीक्षण संख्या 177-189/07 के माध्यम से, पुनरीक्षण हेतु, उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि उसके पास केजीएसटी की धारा 41 के तहत सीमित पुनरीक्षण शक्तियां हैं। आक्षेपित निर्णय द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपने निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की गई, न ही न्यायाधिकरण, किसी विधि के प्रश्न को निर्णित करने में, असफल रहा। उच्च न्यायालय ने यह आगे कहा, बोर्ड/आयुक्त द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुक्रम में, कि, ए. ओ., कर निर्धारिती को छूट/रियायत के लाभ से इनकार करने में सही था, जो उस पर बाध्यकारी था, इस प्रभाव स्वरूप कि, कच्चे रबर को अपकेंद्रित लेटेक्स में बदलने में शामिल गतिविधि, के अन्तर्गत, कोई विनिर्माण नहीं था क्योंकि दोनों वस्तुएँ समान थीं। उच्च न्यायालय के अनुसार, कर निर्धारिती सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. 1727/93 के तहत, शुल्क की रियायती दर का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि कच्चा रबर और अपकेंद्रित लेटेक्स प्रविष्टि 110 (प्रविष्टि 161 से पहले) के तहत एक ही वस्तु हैं। इसलिए हस्तगत सिविल अपीलें, कर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गईं।

12. कर की अपरिहार्यता, एक ऐसी अवधारणा है, जो छूट/रियायत की अवधारणा, से अलग है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब अपरिहार्यता पर बात आई, तब विभाग ने तर्क दिया कि, दिनांक 1.4.1988 के बाद, फील्ड लेटेक्स और अपकेंद्रित लेटेक्स दो अलग और पृथक वस्तुएँ थीं और, उसी समय, जब छूट की बात आई, तब

उसी विभाग ने तर्क दिया कि फील्ड लेटेक्स और अपकेंद्रित लेटेक्स, एक ही वस्तुएं थीं। अतः कर निर्धारिती, परिपत्र संख्या 16/98 दिनांक 28.5.1998 के तहत, शुल्क की रियायती दर का दावा करने का हकदार नहीं था कर की अपरिहार्यता, छूट/रियायत की अवधारणा, से अलग है। निर्वचन के नियम, जो कर कानून के अन्तर्गत, वस्तुओं के वर्गीकरण पर लागू होते हैं, उक्त नियम, उपयुक्त मामलों में, छूट अधिसूचना के नियम एवं शर्तों से भिन्न हो सकते हैं।

वर्गीकरण विवाद में अपनाया गया निर्वचन, उसी अधिनियम के तहत, छूट अधिसूचना के निर्वचन के समान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक छूट अधिसूचना को अपनी शर्तों पर पढ़ना होगा। अधिसूचना में वर्णित निबंधों को, अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा का, कर कानून की भाषा से तुलना करके, उक्त निबंधों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 1003/91 (पूर्ववर्ती सरकारी अधिसूचना एस. आर. ओ. सं. 585/80) "माल" शब्द का उपयोग करता है। "माल" शब्द के उपयोग के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपकेंद्रित लेटेक्स को, अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "माल" की वस्तु माना जा सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के अनुसार, इस बात पर कोई मतभेद नहीं था कि, अपकेंद्रित लेटेक्स, केजीएसटी अधिनियम में "माल" की परिभाषा को संतुष्ट करता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के अनुसार, अपकेंद्रित लेटेक्स माल की

एक वस्तु के रूप में, क्षेत्र लेटेक्स से निर्मित था और इसलिए, कर निर्धारिती छूट के लाभ का दावा करने का हकदार था।

13. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न पर विचार करने में विफल रहा है, जो बिक्री कर रिवीजन संख्या 77-189 / 07 में उसके समक्ष निर्धारण के लिए उत्पन्न हुआ था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले में, हम विभिन्न छूटों की अधिसूचनाएँ की निर्वचना से संपृक्त हैं। हम अधिसूचना क्रमांक 16/98 दिनांक 28- 5- 1998 से संपृक्त नहीं है। इस स्तर पर छूट अधिसूचना (ओं) की निर्वचना के संबंध में, हम अपना मत अभिव्यक्त करने कि इच्छा नहीं रखते है। यह कहना पर्याप्त है कि इस मामले में, हम वर्गीकरण से संपृक्त नहीं है। इस प्रकरण में, हम छूट अधिसूचना (ओं) में उपयोगित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों से, संपृक्त हैं। उच्च न्यायालय ने अपने अक्षेपित फैसले में इस बिंदु को छोड़ दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए. ओ., छूट अधिसूचना(ओं) में उपयोग किए जाने वाले निबंधों के संबंध में भी, आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों से बाध्य है। हालाँकि, जैसा कि कुरियन अब्राहम प्रा. लिमिटेड के मामले में पहले के फैसले में कहा गया था, आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र/आदेश कर निर्धारिती के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसलिए, आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के बाह्य, कर निर्धारिती सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के आधार पर छूट/रियायत के लाभ का दावा कर सकता है। उक्त अधिसूचना (ओं) की निर्वचना पर हम कोई राय अभिव्यक्त नहीं करते है।

यह वर्णित करना पर्याप्त है कि, कर निर्धारिती, आयुक्त द्वारा ए.ओ. को प्रदत्त दिशा/निर्देशों से बाध्य नहीं है। अतः उक्त छूट अधिसूचनाओं के परिधि एवं प्रभाव के अन्तर्गत, मामले को ए.ओ. को, विधि अनुसार, नवीन विनिश्चय हेतु, प्रेषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि कर निर्धारिती छूट अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पूरा करता है, तो कर निर्धारिती, बोर्ड/आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र के बावजूद, अधिसूचनाओं के तहत लाभ का हकदार होगा। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि परिपत्र कर निर्धारिती को बाध्य नहीं करता है, यदि कर निर्धारिती यह दर्शाता है कि वह छूट अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है।

14. ऊपर दिए गए कारणों के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय के, बिक्री कर परिशोधन सं. 177-189/07, 192/2007, 117/07 और 126-138/07 में, आक्षेपित निर्णय, अपास्त किए जाते हैं एवं मामलों को, विधि अनुसार, नए सिरे से विचार के लिए, ए. ओ. को भेजे जाते हैं। ए. ओ., उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से अप्रभावित होकर, कर निर्धारिती की दलीलों पर गौर करेगा और छूट के दावे पर, छूट अधिसूचना में उपयोग किए गए शब्दों और नियमों और शर्तों के आधार पर, निर्णय लेगा।

15. तदनुसार, कर निर्धारिती द्वारा दायर सिविल अपीलें अनुमत की जाती हैं। कोस्ट के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

एसकेएस.

अपीलें अनुमत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राहुल चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।